फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

झाबरमल बनाम राकेश वगै०

मुकदमा नम्बर :– 40/18/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	08/01/25	व.क्र.उप.। प्रा.पत्र 07 R11 cpc व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रा.पत्र 07 R11 cpc स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.कि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

वाद पत्र संख्या :–40/18/15

झाबरमल बनाम राकेश वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश

दिनांकः–08.01.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमानजी के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 272 रकबा 0.95 हैक्टेयर के बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा एक वाद उनवानी राकेश बनाम झाबरमल वगै0 बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद सं0 22/2016, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर के यहां वादग्रस्त आराजियात के खसरा नं0 272 में वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 से नाबालिग अवस्था में करवाये गये विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसमें मान्य न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.06.2024 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 272 में वादी द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2007 व पंजीकृत दिनांक 01.09.2007 को शून्य घोषित कर दिया गया है। वादी मान्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.06.2024 के कारण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अब खातेदार काश्तकार नहीं रहा है, ऐसे में वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकनीय है। वाद वादी को इसी स्तर पर खारिज नहीं फरमाया गया तो प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 न्याय से ही महरुम हो जाएगा।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र कानूनन मेन्टेनेबल ही नहीं होने से मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों पर वाद

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

प्रस्तुत कर विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2007 पंजीकृत दिनांक 01.09.2007 को शून्य घोषित करवाया गया है जिसकी अप्रार्थी/वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है, जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में अप्रार्थी/वादी का नाम दर्ज है तथा अप्रार्थी/वादी उक्त भूमियों का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिस कारण अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र उक्त प्रकरण में देरीना करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्ति आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में वर्णित प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आती है, जिस कारण भी प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 में लिखित बहस इस प्रकार प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी/वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त उनवानी वाद पत्र पेश करने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उनवानी वाद राकेश बनाम झाबरमल वगै0 बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद सं0 22/2016 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष पेश किया जाना सही है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत कर विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2007 पंजीकृत दिनांक 01.09.2007 को शून्य घोषित करवाया गया है जिसकी अप्रार्थी/वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है, जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में अप्रार्थी/वादी का नाम दर्ज है तथा अप्रार्थी/वादी उक्त भूमियों का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिस कारण अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज फरमा दिया गया तो अप्रार्थी/वादी न्याय से महरुम हो जाएगा, जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र उक्त प्रकरण में देरीना करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्ति आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में वर्णित प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आती है, जिस कारण भी प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी/वादी का विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2007 व पंजीकृत दिनांकित 01.09.2007 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर ने दिनांक 01.06.2024 को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर दिया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी का वाद पोषणीय एवं कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–40/18/15
उनवान–झाबरमल बनाम राकेश वगै0
निर्णय दिनांक:–08.01.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

झाबरमल जाट पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाट, उम्र ..... वर्ष करीब, जाति जाट, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. राकेश पुत्र गुल्लाराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र गुल्लाराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. सुनिल कुमार पुत्र चौथमल, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। हाल निवासी लुनियावास, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर।
4. श्रीमती आंची देवी पत्नी शिवदयाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 महेन्द्र सिंह यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. विनिता पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रवि कुमार पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. कानाराम पुत्र मंगलचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. फुलचन्द पुत्र मंगलचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. सुनिता पुत्री मंगलचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. अनिता पुत्री मंगलचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. सन्तोष पुत्री मंगलचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

13. श्रीमती विमला देवी पत्नी मंगलचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. बृजमोहन पुत्र सुरजमल, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. रामनिवास पुत्र सुरजमल, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. श्रीमती नन्छी देवी पत्नी सुरजमल, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. श्रीमती पुनम देवी पत्नी मोहन लाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उप–पंजीयक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
20. जयपुर जिला थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, जयपुर जिला थार ग्रामीण बैंक, शाखा हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–40/18/15

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी का वाद पोषणीय एवं कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.01.2025 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–40 / 18 / 15
उनवान–झाबरमल बनाम राकेश वगै0
निर्णय दिनांक:–08.01.2025

मोहर

दस्तखत.....
ओहदा.....
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	4
जोड़	6	जोड़	4

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)